

कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ०प्र०
प्रार्थी :- सर्वश्री इण्डियन फुट वियर कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन नेशनल को० आर्डीनेशन
आफिस एफ डी डी आई कम्पलेक्स ए-10/ए सेक्टर-24 नोएडा ।
प्रार्थना पत्र सं० :- 28/ 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री मोहिन्दर गर्ग, नेशनल कोआर्डिनेटर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री इण्डियन फुट वियर कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन नेशनल कोआर्डिनेटर आफिस एफ डी डी आई कम्पलेक्स ए-10/ए सेक्टर-24 नोएडा के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 24-01-2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

“ पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लेमिनेटेड टैक्सटाइल फ़ैब्रिक पर कर की दर क्या होगी ? ”

- 2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 749 दिनांक 11-02-2008 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, नोएडा जोन नोएडा से आख्या मॉगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।
- 3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 19-02-2008 को श्री मोहिन्दर गर्ग, नेशनल कोआर्डिनेटर उपस्थित हुए । उन्होनें तर्क किया कि उनकी फर्म में उनकी संगठन के विभिन्न सदस्यों द्वारा लेमिनेशन प्रक्रिया से पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लेमिनेटेड टैक्सटाइल फ़ैब्रिक का निर्माण किया जाता है। उन्होनें तर्क किया कि उनके द्वारा निर्मित वस्तु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित वस्तु की श्रेणी में आती है उन्होनें यह भी तर्क किया कि उनका माल वास्तव में केन्द्रीय एक्साइज टैरिफ एक्ट के क्रमांक 59.03 में वर्णित वस्तु के अन्तर्गत आता है जो धारा-14 के अन्तर्गत क्रमांक (VII) में वर्णित है। अतः इस पर कर की दर 4% होनी चाहिए ।
- 4- मैंने प्रार्थी के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया । प्रार्थी के संगठन के सदस्यों द्वारा टैक्सटाइल फ़ैब्रिक का पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लेमिनेशन करके ,लेमिनेटेड टैक्सटाइल फ़ैब्रिक बनाया जाता है। जहाँ तक केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं का सम्बन्ध है । धारा-14 के क्रमांक -[iia] एवं [vii] की प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

[iia] cotton fabrics covered under heading Nos. 52.05,52.06, 52.07,52.08,52.09,52.10,52.11,

52.12,58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,58.06,59.01,59.03,59.05,59.06 and 60.01 of the Schedule to the central Excise Tariff Act,1985[5 of 1986];

[vii]man-made fabrics covered under heading Nos. 54.08,54.09,54.10,54.11,54.12, 55.07,55.08,55.09,55.10,55.11,55.12,58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,58.06,59.01,59.02, 59.03,59.05,59.06 and 60.01 of the Schedule to the central Excise Tariff Act,1985[5 of 1986];

केन्द्रीय एक्साइज टैरिफ एक्ट के अनुसार क्रमांक 59.03 पर माल का विवरण निम्नप्रकार से वर्णित है :-

59.03	TEXTILES FABRICS , IMPREGNATED , COATED COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902
-------	--

प्रार्थी की ओर से श्री मोहिन्दर गर्ग, नेशनल कोआर्डिनेटर का यह तर्क कि उनके संगठन के सदस्यों द्वारा बनायी वस्तुये अर्थात पोलीयूरीथीन / पोली इथीलीन फोम से लेमिनेटेड टैक्सटाइल फ़ैब्रिक वास्तव में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-14 में घोषित वस्तुओं के अन्तर्गत आती है, उचित एवं स्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि उनकी वस्तुये सेन्ट्रल इक्साइज टैरिफ नं० 5903 TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902 में आती है

(2)

प्रार्थना पत्र सं० :- 28/ 2008

सर्वश्री इण्डियन फुट वियर कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन नेशनल को० आर्डीनेशन आफिस एफ डी डी आई कम्पलेक्स ए-10/ए सेक्टर-24 नोएडा ।

इस प्रकार यह वस्तुये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित वस्तुये होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -140 में आ जाती है अतः इन पर कर की दर 4% होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है 6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 20 फरवरी ,2008

ह०/

(सुनील कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।